

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक प03(18)वन/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक :-

अधिसूचना

वन विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.07.2023 द्वारा राज्य वन्यजीव मण्डल की राज्य स्तरीय स्थाई समिति का गठन किया गया था। उक्त आदेश के क्र.सं. 4 से 11 पर मनोनीत सदस्यों का मनोनयन प्रशासनिक सुधार विभाग की अशा.टीप क्रमांक प6(51)प्र.सु./अनु.3/2018 दिनांक 17.12.2023 की पालना में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(मोनाली सेन)

विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. महानिदेशक, पुलिस विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को प्रति अपने स्तर से वितरित कराने का कष्ट करे।
6. समस्त सदस्यगण।

विशेषाधिकारी, वन

Signature valid

RajKaj Ref
5197360



Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.12.18 16:09:04 IST
Reason: Approved